न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, पाली

पीठासीन अधिकारी : डॉ. बजरंगसिंह चौहान, आर.ए.एस.

अपील संख्या : 12/2016

अपीलाण्ट	बनाम	रेस्पोडेन्ट्स
मगाराम पुत्र कछुआजी जाति माली निवासी रामपुरा तहसील सिरोही		1 भूरीया उर्फ भूराराम पुत्र चेनीया उर्फ चेनाजी जाति माली निवासी रामपुरा तहसील सिरोही 2 देवाराम पुत्र समीयाजी उर्फ समरथाजी जाति माली निवासी रामपुरा तहसील सिरोही 3 शंकरलाल पुत्र समीयाजी उर्फ समरथाजी जाति माली निवासी रामपुरा तहसील सिरोही 4 जीवाराम पुत्र समीयाजी उर्फ समरथाजी जाति माली निवासी रामपुरा तहसील सिरोही 5 मगनीदेवी पत्नि समीयाजी उर्फ समरथाजी जाति माली निवासी रामपुरा तहसील सिरोही 6 वेलाराम पुत्र समीयाजी उर्फ समरथाजी जाति माली निवासी रामपुरा तहसील सिरोही 7 राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार सिरोही

अपील अन्तर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

उपस्थित :–

1. श्री ऋषि माथुर, विद्वान अभिभाषक अपीलाण्ट
2. श्री प्रकाश प्रजापत, विद्वान अभिभाषक रेस्पोडेन्ट्स

–: निर्णय :–

दिनांक : 27.11.17

अपीलाण्ट्स की ओर से यह अपील अन्तर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के तहत विरूद्ध रेस्पोडेन्ट्स के प्रस्तुत कर उपखण्ड अधिकारी सिरोही द्वारा राजस्व वाद संख्या 81/2015 मगाराम बनाम भूरीया वगैरा में पारित निर्णय दिनांक 15.03.2015 को अपास्त कराने का निवेदन किया। अपील दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पोडेन्ट्स को जरिये सम्मन तलब किया तथा अधिनस्थ न्यायालय का रेकर्ड तलब किया तथा उभयपक्ष अभिभाषकगण की बहस सुनी गई।

विद्वान अभिभाषक अपीलाण्ट ने अपनी बहस में कथन किया कि ग्राम रामपुरा के खसरा नम्बर 160, 161, 162, 163, 164, 165, 166 व 167 कुल खसरा 8 जिसका कुल रकबा 5.4800 हैक्टेयर की भूमि में अपीलाण्ट का 1/2 हिस्सा तथा रेस्पोडेन्ट संख्या 1 का 1/6 हिस्सा एवं रेस्पोडेन्ट संख्या 2 से 6 एवं उनकी बहिन मुरकी एवं गंगा का संयुक्त रूप से 1/6 हिस्सा तथा छगनलाल, तुलसीराम, चुन्नीलाल, मीठालाल पि0 दलाजी, राधा पत्नि दलाजी का संयुक्त रूप से 1/6 हक

राजस्व अपील प्राधिकारी पाली

राजस्व अपील प्राधिकारी
पाली

हिस्सा आता है। जिसमें से छगनलाल, तुलसीराम, चुन्नीलाल, मीठालाल पि0 दलाजी, राधा पत्नि दलाजी ने अपने हिस्से की भूमि रेस्पोडेन्ट संख्या 1 से 5 के पक्ष में रिलिज कर दिया है। इसके अतिरिक्त गंगा एवं मुरकी ने भी अपना हिस्सा रेस्पोडेन्ट संख्या 1 से 5 के पक्ष में रिलीज कर दिया है। इस प्रकार अपीलाण्ट एवं रेस्पोडेन्ट संख्या 1 से 6 सह खातेदार के रूप में राजस्व रेकर्ड में दर्ज है तथा इसी हिस्से अनुसार काबिज काश्त है। उक्त भूमि के विभाजन हेतु वादी ने अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष वाद प्रस्तुत किया, जिसमें अधीनस्थ न्यायालय द्वारा दिनांक 22.09.2015 को आपसी सहमति से प्राथमिक डिक्री जारी की तथा बंटवाडा प्रस्ताव हेतु पत्रावली नियत की, किन्तु रेस्पोडेन्ट्स ने विधि विरूद्ध तरीके से पुनः दिनांक 11.01.2016 को न्यायालय में जवाबदावा प्रस्तुत कर न्यायालय को गुमराह कर जैर अपील निर्णय पारित करवाया है, जो विधि विरूद्ध है। अपीलाण्ट द्वारा अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष जो वाद प्रस्तुत किया, उसमें रेस्पोडेन्ट्स द्वारा दिनांक 22.09.2015 को उपस्थित होकर लिखित जवाब प्रस्तुत किया, जिसमें स्पष्ट रूप से स्वीकार किया कि सभी खातेदारों ने बंटवाडा हेतु तहसीलदार सिरोही के समक्ष आवेदन अवश्य प्रस्तुत किया, किन्तु पटवारी रामपुरा ने भी बिना तरमीमशुदा नक्शे पर सभी खातेदारों के हस्ताक्षर/अंगुष्ठ निशान लिये थे और विश्वास दिलाया कि समय मिलने पर पटवारी रामपुरा मोके पर विवादित कृषि भूमि का बंटवाडा कर देंगे एवं बंटवाडे के अनुसार तरमीम कर दिया जावेगा, किन्तु पटवारी रामपुरा न तो मौके पर आये एवं न ही बंटवाडा किया, जिससे वादस्थ भूमि पर बंटवाडा नही हो सका। इसके बावजूद भी अधीनस्थ न्यायालय द्वारा सहमति को नजरअन्दाज करते हुए जैर अपील निर्णय पारित किया है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा इस ओर ध्यान नही दिया गया कि एक बार न्यायालय द्वारा विधि सम्मत निर्णय पारित कर दिया है, तो पुनः उसी न्यायालय द्वारा अपना निर्णय खारिज करने का अधिकार नही है। अधीनस्थ न्यायालय ने निर्णय पारित करने से पूर्व इस ओर भी ध्यान नही दिया कि पक्षकारान के मध्य, वादस्थ भूमि पर शामिल शरीक खेती करने एवं भूमि सुधार करने में आपस में विवाद उत्पन्न हो रहा है एवं शान्ति भंग होने की संभावना है। जिससे अपीलाण्ट उक्त कृषि भूमि का संयुक्त खातेदारों के साथ शामिल शरीक रखना नही चाहते है एवं वादस्थ भूमि का बाई मिट्स एण्ड बाउण्ड्स विभाजन करवाना चाहते है। अतः अपील स्वीकार करावे एवं जैर अपील निर्णय एवं डिक्री को अपास्त करावे।

विद्वान अभिभाषक रेस्पोडेन्ट्स ने अपनी बहस में कथन किया कि अपीलाण्ट द्वारा अधिनस्थ न्यायालय के समक्ष विभाजन का दावा किया गया, इससे पूर्व ही पक्षकारान द्वारा आपसी सहमति से तहसीलदार के समक्ष बंटवाडा हेतु निवेदन करने पर तहसीलदार द्वारा आपसी सहमति विभाजन कर दिया गया, जिससे सहमत है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा आपसी सहमति से पूर्व में विभाजन होने के कारण जैर अपील आदेश पारित किया गया है, जो विधि सम्मत है। लिहाजा अपीलाण्ट की अपील चलने योग्य नही होने के कारण खारिज योग्य है।

उभयपक्ष अभिभाषकगण की बहस सुनी गई तथा अधीनस्थ न्यायालय का रेकर्ड का अवलोकन किया गया। अपीलाण्ट द्वारा दिनांक 28.08.2015 को अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष अपनी संयुक्त खातेदारी भूमि के विभाजन हेतु वाद प्रस्तुत किया। उक्त वाद में प्रतिवादीगण द्वारा इकबालिया जवाबदावा प्रस्तुत किया। इसमें दिनांक 22.09.2015 को पक्षकारान की सहमति से अधीनस्थ न्यायालय द्वारा प्राथमिक डिक्री पारित की तथा तहसीलदार सिरोही को बाई मिट्स एण्ड बाउण्ड्स

राजस्व अपील प्राधिकारी पाली

राजस्व अपील प्राधिकारी
पाली

विभाजन कर विभाजन प्रस्ताव प्रेषित करने के आदेश पारित किये। इसके पश्चात तहसीलदार सिरोही द्वारा अपने पत्रांक/राजस्व/2014/2198 दिनांक 26.11.2015 के जरिये प्रतिवेदन प्रस्तुत कर जाहिर किया कि पक्षकारान द्वारा आपसी सहमति से विभाजन करवाया जा चुका है तथा उसी अनुसार राजस्व रेकर्ड में दर्ज है। इस आधार पर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा जैर अपील आदेश पारित करते हुए वाद को खारिज किया गया है।

राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 53 के तहत कृषि जोतों के विभाजन के प्रावधान उल्लेखित है। इन प्रावधानों की पालना राजस्थान काश्तकारी (राजस्व मण्डल) नियम 1955 के अध्याय 4 के नियम 18 से 21 के तहत की जानी आज्ञापक है। इसमें भी स्पष्टतः समक्ष न्यायालय की वाद में दी गई डिक्री द्वारा जोत का विभाजन नियम 20 व 21 के तहत किये जाने के प्रावधान है। हस्तगत प्रकरण में पारित डिक्री की पालना रिपोर्ट, जो तहसीलदार द्वारा मातहत अदालत को प्रेषित की गई है, का उक्त नियमों के सन्दर्भ में परीक्षण करने पर यह प्रकट होता है कि तहसीलदार सोजत द्वारा जैर अपील प्रकरण में अधिनस्थ न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत रिपोर्ट में इन नियमों के विहित प्रक्रिया की किसी भी रूप में पालना नही की गई है। न्यायालय के आदेशानुसार भूमि का बाई मिट्स एण्ड बाउण्ड्स विभाजन किया जाना था, किन्तु तहसीलदार द्वारा न तो भूमि का निरीक्षण किया गया तथा न ही नक्शा तैयार किया गया, मात्र पटवारी हल्का द्वारा तैयार प्रस्ताव को अग्रेसित कर दिया, जिस पर न तो तहसीलदार के हस्ताक्षर है एवं न ही पक्षकारान के हस्ताक्षर है। इस प्रकार तहसीलदार सिरोही द्वारा जो रिपोर्ट प्रस्तुत की गई है, वह आदेश दिनांक 22.09.2015 को विपरित है। इस प्रकार अधिनस्थ न्यायालय के समक्ष जो पालना रिपोर्ट प्रस्तुत हुई, उसमें उपरोक्त नियमों की पूर्णतः अनदेखी की गई ह। अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष पक्षकारान द्वारा जो आपत्ति प्रस्तुत की, उस पर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा विधिवत सुनवाई नही की गई तथा न ही किसी प्रकार की साक्ष्य परीक्षित हुई। बिना साक्ष्यों के तथा पूर्व में हुए विभाजन की विधिकता को जांचे, जैर अपील आदेश पारित किया गया है, जिसे किसी भी स्थिति में न्यायोचित नही माना जा सकता है। इस प्रकार अपीलाण्ट की अपील स्वीकार योग्य पाई जाती है।

परिणाम स्वरूप अपीलाण्ट द्वारा प्रस्तुत अपील स्वीकार की जाकर उपखण्ड अधिकारी सिरोही द्वारा राजस्व वाद संख्या 81/2015 मगाराम बनाम भूरीया वगैरा में पारित निर्णय दिनांक 15.03.2015 को अपास्त किया जाता है तथा प्रकरण इन निर्देशो के साथ उपखण्ड अधिकारी सिरोही को प्रतिप्रेषित किया जाता है वे पूर्व में जारी प्राथमिक डिक्री दिनांक 22.09.2015 के अनुक्रम में राजस्थान काश्तकारी (राजस्व मण्डल) नियम 1955 के अध्याय 4 के नियम 18 से 21 की पालना करते हुए नये सिरे से विभाजन प्रस्ताव तैयार करवा कर, प्रकरण के समस्त तथ्यों को दृष्टिगत रखते हुए विधि सम्मत निर्णय पारित करें। इस निर्णय की प्रमाणित प्रतिलिपी के साथ अधिनस्थ न्यायालय का रेकर्ड लौटाया जावे।

यह निर्णय आज दिनांक 27.11.2017 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर बाद हस्ताक्षर कर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(डॉ. बजरंगसिंह चौहान)
राजस्व अपील प्राधिकारी, पाली
राजस्व अपील प्राधिकारी
पाली